प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता) बुक नं0

1.जिला **ओपी एसीबी झुन्झुनूं** थाना **प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर** वर्ष **2022**
प्र0सू0रि0 सं. 438/22 दिनांक 1/11/2022

2.(i) अधिनियम ..... **भ्र0नि0 (संशोधित) अधिनियम 2018** धारायें ..... **7** .....
(ii) अधिनियम ..... धारायें .....
(iii) अधिनियम ..... धारायें .....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या 192 समय 5:30 P.M
(ख) अपराध घटने का दिन **रविवार** दिनांक:–**25.09.2022** समय .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– **लिखित**

5. घटनास्थल :– खेदडो की ढाणी, पुलिस थाना सुरजगढ, जिला झुन्झुनूं।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **पूर्व दिशा में करीब 40 किलोमीटर**
(ब) पता :– पुलिस थाना सुरजगढ, **जिला झुन्झुनू।**
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– **श्री सुनिल**
(ब) पिता/पति का नाम :– **श्री भागाराम**
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– **35 साल**
(द) राष्ट्रीयता– ..... **भारतीय** .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– **खेदडो की ढाणी, पुलिस थाना सुरजगढ, जिला झुन्झुनूं।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1– श्री रोहिताश सिंह पुत्र श्री नौरंगराम, उम्र 52 साल, निवासी ग्राम लालामण्डी, पोस्ट उदामाण्डी, थाना बुहाना, जिला झुंझुनूं, हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना सुरजगढ, जिला झुन्झुनू

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... **रिश्वती राशि 15000/– रूपये**.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

हालात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2022 को समय 9.04 ए.एम. पर कार्यालय के लैण्डलाईन फोन पर श्री आशिष के मोबाईल नम्बर 9587108008 से फोन आया व गोपनीय ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु कहा गया और उसने बताया कि आप डिवाईस लेकर सुरजगढ आ जाओ जिस पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40 ने जरिये मोबाईल नम्बर 8239490115 श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया जिस पर अति0 पुलिस अधीक्षक ने कानि. को डिवाईस लेकर

परिवादी के पास जाकर गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया। समय 11.32 एएम पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि ने जरिये मोबाईल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै एसीबी चौकी झुंझुनूं से समय 9.30 एएम पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर सुरजगढ पहुंच श्री आशिष से सम्पर्क कर आशिष से मिला तो उसके साथ उसका भाई सुनिल कुमार भी साथ था। आशिष कुमार ने बताया कि मेरे खिलाफ सुरजगढ थाने में मुकदमा दर्ज है जिसकी तफतीश रोहिताश सिंह सउनि कर रहा है व मेरे से मुकदमें में सहयोग करने के लिये मेरे भाई सुनिल से 30000 रूपये की मांग कर रहा है। उक्त मुकदमें मे मै मुल्जिम हूँ इसलिए आगे की गोपनीय कार्यवाही मेरा भाई सुनिल द्वारा की जायेगी। तत्पश्चात समय 12.42 एएम पर श्री ईशाक कानि. ने जरिये मोबाईल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मुझे परिवादी श्री सुनिल कुमार ने एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया है मैने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड डालकर टेप रिकॉर्डर को चलाने व बंद करने की विधि सुनिल कुमार को समझाई गई व टेप को चलाकर सुना गया तो उसमें कोई आवाज नही होना पाई गई। डिजिटल टेप रिकॉर्ड परिवादी को सुपुर्द कर सुरजगढ थाने के अन्दर एसओ श्री रोहिताश सिंह से वार्ता करने समय 12.27 पीएम पर भिजवाया गया। जिस पर परिवादी कुछ समय बाद मेरे पास आया व बताया कि मै थाने के अन्दर गया। रोहिताशजी एएसआई नही मिले तो मैने मेरे नम्बर 6377729193 से रोहिताश जी के नम्बर 7976101925 पर वार्ता की तो रोहिताश एएसआई ने बताया कि मै थाने से बाहर हू उक्त वार्ता मै डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी परन्तु मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन नही होने के कारण रोहिताशजी की आवाज रिकॉर्ड नही हो सकी। मेरी बात रिकॉर्ड हुई थी। समय 12.35 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया व उक्त वार्ता बताई तो मैने परिवादी के मोबाईल से एसओ रोहिताश के मोबाईल पर पुनः वार्ता करवाई गई उक्त वार्ता में एसओ ने कहा कि आप जाओ मै आपसे बाद में सम्पर्क कर लूंगा। समय 01.02 पीएम पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 ने अतिरिकत पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि एसओ रोहिताश का परिवादी के मोबाईल पर फोन आया कि आप आपने गांव आ जाओ उक्त वार्ता परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करके डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी। जिस पर मै और परिवादी पुलिस थाने से रवाना होकर परिवादी के गांव खेदडो की ढाणी जा रहे थे कि अचानक सुरजगढ कस्बे में परिवादी को रोड पर एसओ रोहिताश मिला व परिवादी से पैसो के लेनदेन की बातचीत की लेकिन डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू नही होने के कारण वार्ता रिकॉर्ड नही हो सकी एसओ ने परिवादी को कहा कि आप अपने गांव जाओ एक घंटे मे पैसे की व्यवस्था करो, मै आपसे वहीं सम्पर्क कर लूंगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. व परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के गांव भिजवाया गया।

तत्पश्चात समय 04.57 पीएम पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि. ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि मै और परिवादी, परिवादी की दूकान गांव पिचानवासी पर समय 1. 15 पीएम पर पहुंचे। समय 2.06 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी रोहिताश सिंह की मोबाईल पर वार्ता की उक्त वार्ता को परिवादी ने अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी। वार्ता में रोहिताश सिंह ने कहा कि मै अपने आप आपके पास आकर मिलता हूँ। हम दोनो रोहिताश एएसआई का परिवादी की दूकान में ईंतजार करने लगे। समय करीब 4.30 पीएम पर आरोपी रोहिताश सिंह अपनी कार लेकर परिवादी की दूकान गांव पिचानवासी में आता दिखाई दिया तो परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर लिया व मै परिवादी की दूकान के पिछे छिपकर आरोपी व परिवादी को बातचित करते हुए देख रहा था। आरोपी रोहिताश सिंह कुछ समय तो परिवादी की दूकान के अन्दर बैठ के बात करता रहा बाद में अपनी कार के अन्दर परिवादी को साथ ले जाकर कार में बैठ कर बाते की। कुछ समय बाद परिवादी को कार से उतारकर स्वयं सुरजगढ की तरफ चला गया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी रोहितोश सउनि से बातचित हुई बातो ही बातो मे मुझे तीस हजार रूपयो से कम करते हुए अपने दोनो हाथो की अंगुलियो को दो बार दिखतो हुए 20 हजार रूपये का ईशारा किया। तब मैने उसको कुछ कम करते हुए 15000 रूपये की कही तो उसने 15000 रूपये रिश्वती राशि लेने की सहमति दी तथा रोहिताश जी बात करके वापस चले गये। परिवादी ने ये भी बताया कि मै आपके साथ नही चल सकता व ना ही एक दो दिन में आपके कार्यालय आ सकता मेरे नीजी कार्य है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. ईशाक मोहम्मद को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी को हिदायत देकर वही छोडकर आप चौकी झुंझुनू आ जाओ। समय 08.00 पीएम पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि. उपस्थित कार्यालय आया व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी के प्रार्थना पत्र

का अवलोकन किया गया तो अंकित तथ्य इस प्रकार है कि मेरा नाम सुनील पुत्र श्री भागाराम है। मेरा भाई जिसका नाम आशिष पुत्र श्री विद्याधर है। जिसके विरूद्ध सूरजगढ थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसका नं. 336/2022 है। जिसमें कहा गया है कि जाकिर नामक एक व्यापारी से लूट के ईरादे से दर्ज हुई है। जिसमें मेरे भाई आशिष का नाम झुठा दर्ज किया है। व्यापारी जाकिर ने मना कर दिया कि इसमें आशिष का कोई लेना देना नही है। इसके बावजूद भी एएसआई जो जॉच कर रहा हैं जिनका नाम श्री रोहिताश कुमार है, ने झुठे केश से नाम हठाने की एवज में ३0,000 रूपये मेरे से मांगे है। सर हम इस केश में रिश्वत नही देना चाहते है व उचित कार्यवाही चाहते है। आपसे प्रार्थना है कि इसकी उचित जॉच की जावे। हमारा एएसआई रोहिताश से पैसो का कोई लेन–देन नही है। एसडी श्री सुनील पुत्र श्री भागाराम, खेदडो की ढाणी, पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं व डिजिटल टैप रिकॉर्डर को अति0 पुलिस अधीक्षक ने चला कर सुना गया तो परिवादी व कानि. द्वारा बताई गई उपरोक्त रिश्वती वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित अलमारी मे मेरे पास रखा गया।

दिनांक 30.09.2022 समय 5.39 पीएम पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि. ने जरिये मोबाईल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे पास परिवादी के भाई आशिष का फोन आया कि श्री रोहिताश सिंह सउनि ने मेरा मुकदमे से नाम निकाल दिया है व उसने मेरे से कोई रिश्वती राशि नही ली नाही अब लेगा। अब ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नही है व परिवादी के भाई ने यह बताया कि उक्त कार्यवाही की लिखा पढी हमारे गांव आकर कर लेना क्योंकि मेरा भाई सुनिल खेती के काम में व्यस्त है इसलिए कार्यालय नही आ सकता।

दिनांक 04.10.2022 समय 2.40 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान श्री सुभाषचन्द्र एएसआई, व श्री ईशाक कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर व डिवाईस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है के जरिये सरकारी वाहन व चालक के रवाना परिवादी के गांव खेदडो की ढाणी पहूँच परिवादी सुनिल से सम्पर्क किया। परिवादी अपने गांव में समय 4.20 पीएम पर उपस्थित मिला। तत्पश्चात समय 4.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनिल द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.09.2022 को परिवादी व आरोपी श्री रोहिताश सिंह एएसआई की गई वार्तालाप जिसको परिवादी द्वारा कार्यालय की डिजीटल टेपरिकार्डर के मेमोरी कार्ड में टेप की गई बातचीत को स्टाफ के श्री सुभाषचन्द्र एएसआई व श्री ईशाक मोहम्मद कानि. दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मेमोरी कार्ड से लैपटोप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा मेमोरी कार्ड में टेप वार्ता का ब्यूरो स्टाफ के गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर टेप वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री सुनिल ने एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी श्री रोहिताश, स.उ.नि. की होने की पहचान की। डिजीटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर सील्ड किया गया, पैकेट पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क 'ए' अंकित किया गया। सील्ड पैकेट मार्क 'ए' व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।

तत्पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने श्री रोहिताश, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना सुरजगढ, जिला झुन्झुनू के विरूद्ध मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड सफेद कपडे की थैली मे शिल्ड किया गया। फर्दात पर नमूना अंकित करने में प्रयोग में ली गई कार्यालय की नमूना पीतल ब्राससील नम्बर 17 को बाद कार्यवाही दोनों स्वतन्त्र गवाह के रूबरू श्री जगदेव कानि. चालक 354 से तुड़वाकर नष्ट की गयी। जिसकी फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 6.00 पी.एम. पर सुनिल ने बताया कि मेरे भाई आशिष का नाम श्री रोहिताश सिंह सउनि ने मुकदमे से निकाल दिया है। हमारे से कोई रिश्वती राशि नही ली है। दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.09.2022 को श्री रोहिताश जी मेरी दूकान में आया तब वो रिश्वती राशि लेने ही आया था मेरे पास पैसे की व्यवस्था नही होने कारण मैने उसको रिश्वती राशि नही दी और उससे मेरे भाई के कार्य के सम्बन्ध मै बाते करता रहा। इसलिए उसको मेरे उपर शक हो गया। उसने बाद रोहिताश जी ने मेरे से किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नही की थी। इसलिए वो अब मेरे से कोई बात नही कर रहा है। इसलिये अब ट्रेप कार्यवाही नही हो सकती है नाही होने की संभावना है। ऐसी स्थित में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकती है। चूंकि रिश्वत

मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी को पुलिस थाने में बुलाया था। परिवादी ने आरोपी को अपने मोबाईल नम्बर 6377729193 से आरोपी श्री रोहिताश के मोबाईल नं. 7976101925 से वार्ता की तो उस समय जल्दीबाजी में परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन नही होने के कारण परिवादी द्वारा बोली गई वार्ता की टेप में रिकार्ड हुई। जिसमें आरोपी ने परिवादी को बाद में मिलने की कही। कुछ समय बाद आरोपी ने अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल के फोन पर वार्ता कर बताया कि आप कहॉ हो। मै आपकी दुकान पर खडा हूँ। तो परिवादी ने कहा की मै दुकान पर कैसे हो सकता हूँ मै तो अभी थाने में आप से मिलने आया हूँ। इस पर आरोपी ने परिवादी को उसके गांव में बुलाता है व परिवादी के थाने से रवाना होते ही थोडी दूरी पर ही सूरजगढ कस्बे में आरोपी अचानक से रोड पर परिवादी को मोटरसाईकिल से रूकवाता है और परिवादी को तीस हजार रूपये की डिमान्ड करता है उस दौरान परिवादी को अचानक रास्ते में मिलने के कारण टेप चालू नही कर सका। आरोपी ने परिवादी से एक घण्टे में परिवादी की दुकान पर तीस हजार रूपये लेने के लिये आने की कही। एक घण्टे बाद परिवादी ने अपनी दूकान से आरोपी को अपने मोबाईल से फोन किया व बताया की पैसे की व्यवस्था नही हो सकी। आरोपी ने चालाकी पूर्वक परिवादी की बात का खण्डन करते हुये फोन काट दिया व कुछ समय बाद परिवादी की दुकान पर अपनी गाडी लेकर आया व परिवादी की दुकान पर परिवादी से बातचित कर परिवादी को दुकान से उठाकर अपनी गाडी में बिठाकर बातचीत करने लगे तो आरोपी ने चालाकी पूर्वक रिश्वती राशि बाबत ईशारा किया तो परिवादी ने कुछ रूपये कम करवाने के लिये कहा तो आरोपी ने चालाकी पूर्वक कहा रहने दो फिर परिवादी ने निवेदन किया तो आरोपी ने व्यगयात्मक भाषा में कहा रहने दो आपके दिक्कत है तो। परिवादी ने कहा कि मेरे भाई के सामने बात हो जाती तो ठीक था। तो आरोपी ने कहा कि तु ले आना स्वयं ही और आरोपी ने यह कहा कि "आप कहोगे जैसे ही कर दूगा। तुम्हारी बात रखने के लिये कह रहा हूँ।" परिवादी ने कहा मेरा भाई रूपये देने से डर रहा है। तो आरोपी ने कहा कि उनके सामने ही कर देना। परिवादी ने कहा कितने रूपये देने है तो आरोपी ने कहा कि आप अपने हिसाब से दे देना और आरोपी ने यह भी कहा कि आप मुझे फोन पर यह कह देना साहब हम आ गये है, इतना ही कहना और परिवादी ने कहा कि कुछ कम कर दो 15,000 रूपये बता दू क्या तो आरोपी ने कहा की ठीक है इतने की कर देना। मै आपकी बात रखूगा। इस प्रकार आरोपी श्री रोहिताश सिंह, सहायक उप निरीक्षक चालाकी पूर्वक परिवादी से रिश्वत की मांग कर रहा है व रिश्वत लेने की सहमति भी दे रहा है। इस प्रकार रिश्वत मांग करने की पृष्टि होती है।

इस प्रकार कि गई कार्यवाही से आरोपी श्री रोहिताश सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी के भाई श्री आशिष के विरूद्ध दर्ज मुकदमा में सहयोग करने की ऐवज में 30,000 रूपये की मांग कर 15,000 रूपये लेने के लिये सहमती देना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। जो अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के दण्डनीय कृत्य है।

अतः आरोपी श्री रोहिताश सिंह पुत्र श्री नौरंगराम, उम्र 52 साल, निवासी ग्राम लालामण्डी, पोस्ट उदामाण्डी, थाना बुहाना, जिला झुंझुनूं, हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना सुरजगढ, जिला झुन्झुनू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झुन्झुनूं।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रोहिताश सिंह पुत्र श्री नौरंगराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सुरजगढ, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 438/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3802-05 दिनांक 11.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम सं02 जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला झुन्झुनूं।
3. उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं।

11/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।